मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 115वीं बैठक दिनांक 29.03.2006 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री नवीन चन्द्र बाजपेई कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश विशेष सचिव, वित्त
5.	प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री सर्वेश चन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, खाद्य
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक, सहकारी समितियाँ
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद्, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, लखनऊ।
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	डा0 एस0बी0 सिंह, स0 निदेशक, उद्यान
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री सभाजीत तिवारी, कृषि निदेशक
11.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	डा0 रजनीश दुबे निदेशक, कृषि विपणन
12.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
01.	मा0 परिषद की 114वीं बैठक दिनांक 10.02.2006 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	गत 114वीं बैठक की अनुपालन आख्या पर विचार।	114वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
03.	वित्तीय वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान (Budget Estimate) तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक अनुमान (Budget Estimate) के अनुमोदन पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2005–06 का पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए परिषद निधि एवं मण्डी विकास निधि / केन्द्रीय मण्डी निधि का आय व्ययक अनुमान अनुमोदित किया गया। एजेण्डा पुस्तिका का पृष्ठ 12–13 एवं पृष्ठ 38 कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा।
04	कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (Performance Budget) 2006-07 पर विचार।	कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय व्ययक 2006–07 का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
05	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की "समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना" कल्याणकारी योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में अनुमन्य धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार।	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की "समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना" कल्याणकारी योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में अनुमन्य धनराशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एजेण्डा पुस्तिका का पृष्ठ 142 कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा।
06	चीनी वर्ष 2005–06 में गुड़ / खाण्डसारी इकाइयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू करने पर विचार।	गुड़ खाण्डसारी यूनिटों की चीनी मिलों से प्रतिस्पर्धा होने, चीनी पर मण्डी शुल्क देय न होने तथा गुड़ खाण्डसारी इकाईयों के माध्यम से किसानों को बाजार में विकल्प उपलब्ध होने तथा गुड़ खाण्डसारी उद्योग पर आसन्न संकट के दृष्टिगत सर्वसम्मति से यह विनिश्चय किया गया कि चीनी वर्ष 2005–06 में गत वर्ष की तुलना में विभिन्न

		साईज के क्रेशर इकाईयों हेतु एकमुश्त समाधान धनराशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शासन को संस्तुति प्रेषित की जाय।
07	नवीन मण्डी स्थलों में पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चैम्बर इत्यादि आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर विचार।	प्रस्तावानुसार मेरठ/ आगरा/ इलाहाबाद/ मुरादाबाद में पैक हाउस, गोरखपुर/ लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज, आगरा/ वाराणसी/ गाजियाबाद/ इलाहाबाद में एक–एक राइपनिंग चैम्बर निर्मित कराने, 07 मण्डी समितियों में कोल्ड रूम की स्थापना कराने तथा उपर्युक्त विशिष्ट सुविधाओं का संचालन निजी फर्मो/ व्यक्तियों से कराये जाने की स्वीकृति दी गयी। निर्णय लिया गया कि यदि 03 पैक हाउसों का वित्त पोषण कृषि विविधीकरण परियोजना में सम्भव नहीं होता है तो इसकी स्थापना मण्डी समिति/ मण्डी परिषद की निधियों से कराई जाय।
08	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना पर विचार।	प्रस्तावानुसार मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। मण्डी परिषद स्तर पर सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के शासनादेशानुसार एप्लीकेशन साफ्टवेयर/ मिडिलवेयर/ हार्डवेयर तथा नेटवर्किंग आदि की अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
09	किसान दुग्ध उत्पाद मण्डी के संचालन पर विचार।	किसान दुग्ध उत्पाद मण्डी के संचालन हेतु प्रस्तावित योजना स्वीकार की गयी। तद्नुसार शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 19 के खण्ड–3 के उप खण्ड–11–क के अन्तर्गत गौ–संरक्षण एवं गौ

		संवर्धन हेतु रू0 2.00 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट में कर लिया जाए तथा शासनादेश संख्या 362(1)/12–5–2003–600 (116)/99 दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने की दशा में उ0प्र0 गौ सेवा आयोग को परियोजनानुसार किश्तों में धनराशि अवमुक्त कर दी जाए।
10	धारा–12 (ए) आयकर अधिनियम के तहत मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों को चैरिटेबुल संस्था घोषित कराने, सनदी लेखाकारों से सम्प्रेक्षण कराये जाने तथा उनके पारिश्रमिक पर विचार।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के दीर्घकालिक आर्थिक हितों के दृष्टिगत धारा–12 (ए) आयकर अधिनियम के तहत मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों को चैरिटेबुल संस्था घोषित कराने, सनदी लेखाकारों से सम्प्रेक्षण कराये जाने तथा उन्हें पारिश्रमिक दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
11	मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 17–क (1) क के बढ़ाये गये परन्तुक प्राविधान तथा मण्डी नियमावली–1965 के नियम 137 के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी शुल्क से छूट दिये जाने पर विचार।	नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को मण्डी शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 17–क (1) क के बढ़ाये गये परन्तुक प्राविधान के दृष्टिगत मण्डी नियमावली–1965 के नियम 137 के स्पष्टीकरण में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया गया। एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 411 पर अंकित तालिका के नियम 137 के संशोधन को कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा। स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 की कासगंज, एटा स्थित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई को घी पर मण्डी शुल्क से दिनांक 17.03.06 से 05 वर्ष तक के लिए छूट देने का सशर्त प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया। तद्नुसार शासन को मा0 परिषद की संस्तुति भेजने का निर्णय लिया गया।
12	उप निदेशक (निर्माण) के कतिपय पदों पर अभियन्ताओं के	शासन के पत्र संख्या 650/80–1–2006–600 (255)/02 दिनांक 08/10.03.2006 में उल्लिखित

	विनियमितीकरण पर विचार।	04 प्रभारी उप निदेशक (निर्माण) के विनियमितीकरण के प्रकरण में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों के विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली 2001 के प्राविधानों तथा रिट याचिका संख्या 843/99 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.99 के आलोक में निर्णय लिया गया कि आगामी बोर्ड बैठक में शासन के कार्मिक एवं न्याय विभाग के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को परामर्श हेतु आमंत्रित किया जाये।
13	मण्डी परिषद में स्वीकृत उप निदेशक (प्रशासन)/ सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) के चयनित पदों को पदोन्नति से भरने पर विचार।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एजेण्डा पुस्तिका का पृष्ठ 518–519 कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा। तद्नुसार उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा विनियमावली 1984 तथा उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984 में संशोधन शासन को प्रेषित करने तथा अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
14	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत 09 कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम हेतु रू0 4.28 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

01	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विचार।	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार किया गया। तद्नुसार एजेण्डा पुस्तिका पृष्ठ 565–575 पर अंकित अधिनियम संशोधन का आलेख इस शर्त पर

		अनुमोदित किया गया कि BOT/ BOOT की परिभाषा जोड़ दी जाय, SEZ की परिभाषा में केन्द्रीय अधिनियम का उल्लेख किया जाए तथा धारा 26 का प्रस्तावित संशोधन जो एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 574 के बिन्दु संख्या 11 पर अंकित है, को हटा दिया जाय। मण्डी अधिनियम 1964 में प्रस्तावित संशोधन में विलम्ब होने की दशा में परियोजना समन्वयक, डास्प के पत्र दिनांक 17.03.06 के अनुसार विशेष एग्रीमार्ट तथा नवीन मण्डी स्थलों के आधुनिकीकरण एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी विषयक संशोधनों को अधिनियम की धारा 26–एम के अधीन आच्छादित कराने का निर्णय लिया गया।
02	वित्तीय वर्ष 2006–07 में बल्क परचेज योजना के अन्तर्गत निजी कम्पनियों को लाईसेन्स निर्गत करने पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2006–07 में बल्क परचेज योजना के अन्तर्गत निजी कम्पनियों को लाईसेन्स निर्गत करने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण उच्च स्तरीय समिति को सन्दर्भित किया जाय तथा उच्च स्तरीय समिति का निर्णय परिषद को मान्य होगा।
03	विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट दिये जाने पर विचार।	विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट दिये जाने पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र को मण्डी शुल्क अथवा विकास सेस से छूट दिये जाने का औचित्य नहीं हैं। इन परिक्षेत्रों में स्थापित होने वाली कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को देश के बाहर निर्यात करने की दशा में मण्डी शुल्क/ विकास सेस में छूट तथा रूपये 10 करोड़ से अधिक के पूँजी निवेश से स्थापित होने वाली प्रसंस्करण इकाईयों को 05 वर्ष

		तक के लिए मण्डी शुल्क में छूट/ कमी हाल में किए गए मण्डी अधिनियम, 1964 के संशोधन के अधीन अनुमन्य हैं। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थित इकाइयों को विपणन फैसिलिटेशन सुविधायें यथा यूनिफाइड लाईसेन्स, सिंगल प्वाइन्ट पेमेन्ट, डायरेक्ट परचेज फैसिलिटी आदि उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया।
04	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के कर्मचारियों के 50 प्रतिशत महगाई भत्ते को दिनांक 01.04.2004 से मूल वेतन में जोड़े जाने के सम्बन्ध में विचार।	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के कर्मचारियों के 50 प्रतिशत महगाई भत्ते को दिनांक 01.04.2004 से मूल वेतन में जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
05	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत कर ली जाय जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सके।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश